

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ3(ख) अति.कार्य/अलेसे-11/ 2 8 8 9 2 - 8 9 8

दिनांक 29.02.2016

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 19747-790 दिनांक 17.08.2015 के द्वारा श्री रूपाराम चौधरी, सलेअ-11 को कार्यालय राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, पाली एवं विभागीय आदेश क्रमांक 20410-455 दिनांक 17.09.2015 के द्वारा श्री प्रवीण अग्रवाल, सलेअ-11 को कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर का दिया गया अतिरिक्त कार्य निरस्त किया जाता है।



(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ3(ख) अति.कार्य/अलेसे-11/ 2 8 8 9 2 - 8 9 8

दिनांक 29.02.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
- 2 उपनिदेशक, एसीपी, कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट प्रकाशन हेतु)।
- 4 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 5 श्री....., सलेअ ग्रेड-11 कार्यालय
- 6 निजी/रक्षित पत्रावली।



(डा.मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)